**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 2018/00077** **दायरा दिनांक : 03.03.2018**

**उनवान**

1– रामहेत पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2– अमरलाल पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0 मृतक कायम मुकाम –

2/1– ज्याना बाई बेवा अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/2– भंवरलाल पुत्र श्री अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/3– मोरध्वज पुत्र श्री अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/4– रूपचन्द पुत्र श्री अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/5– केदारबाई पुत्री श्री अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/6– गुड्डीबाई पुत्री श्री अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/7– नरबदीबाई पुत्री श्री अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0 .... अपीलांट

**बनाम**

1– चतुर्भुज पुत्र श्री अमरलाल, जाति मीणा, निवासी सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 17.02.2025**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या 521/दावा/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट रामहेत ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर के माल में खतौनी संख्या 389 की 11 किता रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादी तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं मुस0 गेन्दीबाई बेवा प्रभूलाल बांट बराबर से खातेदार टीनेन्ट है एवं ग्राम सीमलखेडी, तहसील खानपुर के माल में खतौनी खसरा नं. 29 की 6 बिस्वा, खसरा नं. 44 की 2 बिस्वा, खसरा नं. 84 की 16 बिस्वा, खसरा नं. 121/152 की 15 बीघा कुल 4 किता की 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 का 1/2 तथा 1/2 हिस्से में वादी तथा प्रतिवादी अमरलाल का सम्भाग से है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2013 से वाद, वादी अपर्याप्त साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी नं. 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा ग्राम सीमलखेडी की आराजी खसरा नं. 29 की 0.06 बीघा, खसरा नं. 44 की 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 84 की 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 121/152 की 15.00 बीघा कुल 4 किता की 16.04 बीघा में प्रतिवादी नं. 1/1 लगायत 1/7 को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं. 2 को हिस्सा 1/3, वादी को हिस्सा 1/3 को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। तहसीलदार खानपुर ग्राम सीमलखेडी एवं ग्राम पिपलाज की आराजी में वादी के हिस्से का राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पेश करे। साथ ही वादी को उसके हिस्से में आने वाली आराजी पर कब्जा भी दिया जावे। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट अपीलार्थी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अकारण ही अपने अधिकारों से परे जाकर खारिज करके एवं रेस्पोडेंट नं. 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर भयंकर भूल की है। वाके ग्राम सीमलखेडी, तहसील खानपुर की कुल किता 4 की रकबा 16.04 बीघा आराजी जिसमें रामहेत, अमरलाल का हिस्सा 1/2 व रामहेत, अमरलाल, चतर्भुज हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड है। जिसका वाद रेस्पोडेंट नं. 1 ने मि0 नं. 458/दावा/2006 बउनवान चतर्भुज बनाम रामहेत वगै0 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पेश करने पर माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त वाद को अस्वीकार कर दिनांक 24.09.2007 को खारिज कर दिया था, जिसकी अपील संख्या 6/2008 बउनवान चतर्भुज बनाम रामहेत वगैराह को माननीय अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2008 को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4. प्रकरण की वास्तविकता इस प्रकार से है कि वाके ग्राम पिपलाज में खतौनी संख्या 389 की 11 किता की रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा जिसके खातेदार रामहेत, अमरलाल, चतर्भुज व मुसम्मात गेंदीबाई जिसमें से गेंदीबाई की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार उक्त आराजी में रेस्पोडेंट रामहेत, व मृतक अमरलाल के कायम मुकामान व चतर्भुज का हिस्सा 1/3 – 1/3 सम्भाग, नकल जमाबंदी संवत 2056–2059 व वाके ग्राम सीमलखेडी, तहसील खानपुर की खतौनी संख्या 29 की 4 किता की रकबा 16.04 बीघा नकल जमाबंदी संवत 2057–2060 में दर्ज हिस्सा रामहेत, अमरलाल का 1/2 तथा रामहेत, अमरलाल, चतर्भुज का हिस्सा 1/2 सम्भाग में है। वादी अपीलांट के द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी शामिल खाते में होने के कारण आराजी को उपजाऊ बनाने व लगान राज जमा करने में परेशानी आती है, इसलिए रेकार्ड के मुताबिक अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कर खाता पृथक दर्ज कर पैमाईश की जाकर कब्जा दिलाये जाने की डिक्री वादी अपीलांट के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी अता फरमाने की इस्तदुआ की गई। वादी के वाद स्वीकार कर दिनांक 24.02.2004 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई बाद पेपर पार्टीशन दिनांक 25.10.2004 को अंतिम डिक्री जारी की गई।

5. अंतिम डिक्री की पालना में खाता विभाजन कर मौके पर पैमाईश करके कब्जा आराजी वादी अपीलांट को संभलाया गया तथा वादी अपीलांट शांतिपूर्वक कब्जे काश्तकार है। यह कि उक्त आराजी के संबंध में एक वाद रेस्पोडेंट प्रतिवादी चतर्भुज के द्वारा दिनांक 10.03.2006 को बउनवान चतर्भुज बनाम रामहेत वगै0 पेश किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.09.2007 को खारिज किया गया, उक्त निर्णय के विरूद्ध पेश अपील को भी माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.06.2008 को अस्वीकार कर दी गई।

6. इसके बाद रेस्पोडेंट प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 26.09.2007 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 पेश करने पर उसको 500/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, साथ ही मृतक अमरलाल के कायम मुकाम वारिस उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी रेस्पोडेंट के द्वारा दिनांक 08.08.2008 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। वादी अपीलांट कैसंर जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका, इसलिए वादी का जवाब काउंटर क्लेम बन्द कर दिया गया। वादी अपीलांट ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं व गवाह भंवरलाल के बयान करवाये और प्रतिवादी रेस्पोडेंट के द्वारा अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में मात्र स्वयं के बयान दर्ज करवाये गये।

7. वादी अपीलांट के द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2057–2060 वाके ग्राम सीमलखेड़ी की 4 किता की रकबा 16.04 बीघा जिसमें वादी अपीलांट का दर्ज रेकार्ड हिस्सा 1/6 + 1/4 कुल 5/12 व अपीलांट मृतक अमरलाल के कायम मुकाम का हिस्सा 1/6 + 1/4 कुल 5/12 साबित करने के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार पर वादी अपीलांट के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नजर अन्दाज करके भारी भूल की है तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर तनकी नं. 1 को वादी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित की गई है, जबकि वादी अपीलांट के द्वारा उक्त तनकी को भली प्रकार से साबित किया गया है।

8. तनकी नं. 2 को साबित करने का भार रेस्पोडेंट प्रतिवादी चतर्भुज पर था पर वह उक्त तनकी को साबित करने में बिलकुल ही विफल रहा है। उसके द्वारा एक भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया है। उसके द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है, जो स्वयं के मौखिक साक्ष्य में की गई जिरह से साबित है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट के द्वारा ग्राम सीमलखेड़ी की नकल जमाबंदी संवत 2022–2025 पेश की गई है, उसके बाद ग्राम सीमलखेडी की नकल जमाबंदी संवत 2036–2039 पेश कर निवेदन किया कि आराजी पुश्तैनी है और सैटलमेंट अधिकारियों के द्वारा रामहेत व अमरलाल का हिस्सा 1/2 गलत दर्ज किया गया है। यह सरासर गलत है, प्रतिवादी रेस्पोडेंट के द्वारा पेश रेकार्ड से खसरा मिलान नहीं होता और न ही उसने मिलान क्षेत्रफल पेश किया है। जमाबंदी संवत 2036–2039 में रामहेत, अमरलाल हिस्सा 1/2 तथा पिता प्रभूलाल पुत्र मोतीलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड है, जिससे यह साबित है कि प्रभूलाल के जीवनकाल में ही वादी अपीलांट व अमरलाल का नाम खाते में दर्ज था, और नकल जमाबंदी में इंतकाल नं. भी अंकित है, जिससे वादी अपीलांट का नाम खाते में दर्ज हुआ है। उक्त इंतकाल की नकल भी प्रतिवादी रेस्पोडेंट के द्वारा अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में पेश नहीं की है। इसके साथ साथ प्रतिवादी रेस्पोडेंट के द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2022–2025 से 2036–2039 के बीच का रेकार्ड जानबूझकर छिपाया है और आक्षेप लगाया है कि सैटलमेंट अधिकारियों के द्वारा वादी अपीलांट का हिस्सा ज्यादा दर्ज कर दिया गया। इसके बाबत भी एक भी पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, यह बडा हास्यापद है कि पिता के जीवनकाल में सैटलमेंट अधिकारियों के द्वारा वादी अपीलांट का हिस्सा रेकार्ड में बिना किसी आधार ज्यादा दर्ज कर दिया गया, इसके बाबत रेस्पोडेंट प्रतिवादी के द्वारा अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में एक भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर तनकी नं. 2 को बिना किसी आधार के प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित करके भारी कानूनी त्रुटि की है। जबकि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में दौराने ट्रायल अनिरल्ट वादी अपीलांट के द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने प्रकरण को पूर्णतया प्रमाणित कर दिया हे, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त साक्ष्य को एप्रीसियट न करके कानूनी भूल की है व बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के कयास लगाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के काउंटर क्लेम को गलत रूप से डिक्री किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10. अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट/वादी स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2013 को निरस्त फरमाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के काउंटर क्लेम को निरस्त किया जावे।

11. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

12. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और बहस में यह कथन किया कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। वादी अपीलांट ने ग्राम पिपलाज की खतौनी संख्या 389 की 11 किता रकबा 30.12 बीघा आराजी नकल जमाबंदी सम्वत 2056–2059 के अनुसार 10 बीघा 4 बिस्वा आराजी एवं ग्राम सीमलखेडी की जमाबंदी सम्वत 2057 से 2060 कुल 4 किता 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार 6 बीघा 15 बिस्वा आराजी का खाता विभाजन कर पृथक खाते दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.02.2004 को प्रकरण संख्या 364/2000 वाद में निर्णय पारित कर दिया वह निर्णय जमाबंदी के अनुसार था। यह निर्णय एकपक्षीय था। एकपक्षीय कार्यवाही खत्म की जवाब मय काउंटर क्लेम ग्राम सीमलखेडी की आराजी पर आब्जेक्शन किया। जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी के तीन हिस्से होने चाहिए थे यह कथन किया जिसे हम स्वीकार नहीं करते। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी के कथन किया कि ग्राम सीमलखेडी की जमीन में भी 1/3, 1/3 हिस्सा किया। अपील की हमने, जमाबंदी में जो दर्ज रिकार्ड है उसे मौखिक बयानों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। आदेश 8 नियम 6(ए) के अनुसार विभाजन ही हो सकता है काउंटर क्लेम में घोषणा नहीं, क्योंकि दावा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का था। हमारा वाद घोषणा का नहीं बल्कि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का था। दस्तावेज जमाबंदी के आधार पर दावा किया है जिसे जमाबंदी से साबित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

13. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रभुलाल के तीन पुत्र है अतः प्रभुलाल की मृत्यु के बाद तीनों पुत्रों का 1/3 – 1/3 हिस्सा होना चाहिए। हमारा हिस्सा कम किया गया। हमने सेटलमेंट से पहले की जमाबंदी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने काउण्टर क्लेम का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई आपत्ति पेश की है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

15. अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम पिपलाज की खतौनी संख्या 389 की 11 किता रकबा 30.12 बीघा आराजी में नकल जमाबंदी सम्वत 2056–2059 के अनुसार 10 बीघा 4 बिस्वा आराजी एवं ग्राम सीमलखेडी की जमाबंदी सम्वत 2057 से 2060 कुल 4 किता 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार 6 बीघा 15 बिस्वा आराजी का खाता विभाजन कर पृथक खाते दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

16. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2013 से वाद, वादी पर्याप्त साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज कर प्रतिवादी नं. 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर ग्राम सीमलखेडी की आराजी खसरा नम्बर 29, 44, 84, 121/152 कुल 4 किता की कुल 16.04 बीघा में प्रतिवादी नम्बर 1/1 लगायत 1/7 को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 2 को हिस्सा 1/3, वादी को हिस्सा 1/3 का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया परन्तु ग्राम सीमलखेडी की नकल जमाबंदी सम्वत 2057–2060 एक्जीविट पी 1 के अनुसार अमरलाल, रामहेत, चतुरभुज पिसरान प्रभूलाल हिस्सा 1/2 व अमरलाल, रामहेत पिसरान प्रभूलाल कौम मीना, साकिन देह हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2013 का आधार यह है कि खातेदार प्रभूलाल का पुत्र होने से जब पिपलाज की आराजी में प्रतिवादी नं. 2 का 1/3 हिस्सा है, तो फिर ग्राम सीमलखेडी की आराजी में भी प्रभूलाल के वारिसान रामहेत, अमरलाल, चतुर्भुज का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना है कि जब पिपलाज की आराजी में प्रभूलाल के वारिसान रामहेत, अमरलाल, चतुर्भुज का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, तो सैटलमेंट विभाग को सीमलखेडी की आराजी में अमरलाल, रामहेत, चतुर्भुज 1/2 व अमरलाल, रामहेत 1/2 हिस्सा दर्ज करने का अधिकार नहीं है।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट तैयार की गई भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी की नकल पेश नहीं की है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस सन्दर्भ में कोई जांच रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि सीमलखेडी की आराजी में सैटलमेंट विभाग द्वारा गलत इन्द्राज किया गया है और इस प्रकार का इन्द्राज करने का सैटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नकल प्रमाणित प्रति खसरा बन्दोबस्त भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2020 के अनुसार ग्राम सीमलखेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड खसरा नम्बर 29, 44, 84, 121, 128 कॉलम नम्बर 23 में नाम कृषक (गत भू माप) में प्रभूलाल वल्द मोतीलाल, कोम मीना, साकिन देह एवं कॉलम नं. 24 में नाम कृषक मय पिता में प्रभूलाल वल्द मोतीलाल, कोम मीना साकिन देह हिस्सा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1/2 व अमरलाल नाबालिग पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 व रामहेत नाबालिग पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 कोम मीना साकिन देह दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान के सम्मुख कॉलम नम्बर 25, 26 में यह नोट अंकित किया गया है कि मु0 आदेश श्रीमान ए.एस.ओ. साहब मिसल नम्बर 339 व 4366 के तहत खसरा नम्बर 29, 44, 84, 121, 128, 145 में अमरलाल का हिस्सा 1/4 व रामहेत का हिस्सा 1/4 दर्ज किया गया बाकी हिस्सा 1/2 बदस्तूर रखा गया। इससे प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट होता है कि सीमलखेडी की आराजी में खातेदारों का जो हिस्सा दर्ज हुआ है वह किसी लिपिकीय त्रुटि या भूलवश नहीं होकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश से हुआ है जिसका मिसल नं. 339 व 4366 स्पष्ट रूप से अंकित है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के सन्दर्भ में इन मिसल नम्बर की जांच होना आवश्यक है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सीमलखेडी की आराजी में प्रभूलाल के वारिसान का बराबरी से 1/3 हिस्सा क्यों दर्ज नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने सैटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, खसरा बन्दोबस्त का अवलोकन एवं जांच किये बिना ही केवल ग्राम पीपलाज की जमाबंदी में पक्षकारान का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है। अतः ग्राम सीमलखेडी की आराजी में भी पक्षकारान की 1/3, 1/3 हिस्सा स्वीकार करना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2013 अपास्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को भू प्रबन्ध विभाग का खसरा बन्दोबस्त एवं अन्य दस्तावेज जो वादी अपीलांट के वाद की पुष्टि हेतु आवश्यक है, प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाये एवं वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा बन्दोबस्त में अंकित मिसल नम्बर 339 व 4366 की जांच उपरान्त पैरा संख्या 17 में किये गये विवेचन के आधार पर जांच उपरान्त पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

19. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/02/2025

**(दीप्ति रामचन्द्र मीना)**
**भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**